जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.10.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

● *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक द्वारा सड़क पार कर रही महिला को टक्कर लग जाने के कारण घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत देवकली से इवेंट सं0 45068 कालर ने सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक द्वारा सड़क पार कर रही महिला को टक्कर लगने कारण दुर्घटना में 01 महिला (1- प्रेमा देवी पत्नी बाबूलाल, ग्राम देवकली थाना बखिरा, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुई महिला को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुई महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 चन्दन कुमार, आ0 विवेक कुमार, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनों से 86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनों से 86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.10.2024

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए झपटमारी के मामले का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 299/2024 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 01. महेश चौरसिया पुत्र राजेंद्र प्रसाद 02. विकास चौरसिया पुत्र रामकेश 03. अभिषेक निषाद पुत्र विजय कुमार 04. मोनू चौरसिया पुत्र रामअवध निवासीगण औरही थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 04 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना मेंहदावल पर वादी के भाई खलीलाबाद से घर जा रहा था कि ग्राम फरदहा नहर पुलिया के पास से चार अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के भाई से मोबाइल छीन लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/2024 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात थाना मेहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चार नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी टीम उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव , हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 सुरेन सिंह, हे0का0 रामरतन तिवारी, हे0का0 हरीप्रसाद शर्मा, का0 अरमान खान, का0 वीरेंद्र कुमार।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.10.2024

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद खाली गैस सिलेण्डर के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाप्रभारी धर्मसिंहवा ***श्रीमती पूनम मौर्या*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 63/2024 धारा 305(e), 331(4), 317(2) बीएनएस थाना धर्मसिंहवा से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1. धनश्याम पुत्र रुदल निवासी सेवाइचपार 2. पप्पू पुत्र स्व0 बेचन निवासी सेवाइचपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद खाली गैस सिलेण्डर के साथ बरगदवा अंसारी मखतब के समीप नहर पटरी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को थाना धर्मसिंहवा पर दिनांक 16.10.2024 से 18.10.2024 के बीच अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय के किचन की खिड़की तोड़कर गैस सिलेण्डर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना धर्मसिंहवा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तों को आज दिनांक 24.10.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***बरामदगी का विवरण*–** 01 अदद खाली गैस सिलेण्डर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव, हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 शिवशंकर यादव ।